



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

न्यायलय तहसीलदार औसियां जिला जोधपुर

क्रमांक / राजस्व / कोर्ट / 2020 / 572

दिनांक:- 26/10/2020

प्रार्थी

सरकार जरिये भू.अ.नि. खाबडा - खुई

अप्रार्थी / अप्रार्थीगण

श्री फरसदाराम

पटवारी खाबडा - खुई

पुत्र श्री मणू दाराम

जाति ब्राह्मण

मुकदमा नंबर 18

निवासी खाबडा - खुई

10/9/2020

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम -1956 की धारा 91

:- निर्णय:-

पटवारी हल्का खाबडा - खुई ने इस आशय से रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन है किया है कि अप्रार्थी/अप्रार्थीगण में राजस्व गांव खिजना के खसरा नं. 1742 रकबा 0040 किस्म गे. मू. रास्ता राजकीय भूमि पर पालना फसल बोकर/बनाकर/निर्माण करके बिना वैध अधिकार स्वेच्छा से तथा बिना सक्षम अनुमति के अवैध अतिक्रमण किया है। इस पर उक्त प्रकरण की पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर करके धारा 91 (3) के अन्तर्गत अप्रार्थी/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस की विधिवत तामील के पश्चात भी अप्रार्थी अनुपस्थित है अतः एक पक्षीय कार्यवाही अमल में ली जाती है /अप्रार्थी उपस्थित हुआ, अप्रार्थी को सुना गया। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। तथा अतिचार करने के फलस्वरूप भू-राजस्व/लगान 1.50 प्रति वर्ष का 50 गुणा कुल रूपये 75 अक्षरे रूपये मात्र बतौर जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं एवं कुर्कसुदा फसल नीलाम कर नीलामी फर्द स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक को लिखा जावे। पटवारी/भू0अ0नि0 अतिक्रमी को अतिक्रमी को अतिक्रमण स्थान से बेदखल करके बेदखली फर्द तथा जुर्माना वसूल करके पालना 7 दिवस में पेश करें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का खाबडा - खुई को आदेशित किया जाता है कि मांग दर्ज कर वसूल करें। बाद पालना के पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/10/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार औसियां